

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक एफ.3(178)नवि/3/2012

जयपुर, दिनांक:

29 APR 2013

आदेश

कुछ नगर निकायों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत पारित आदेश के तहत नियमन की स्वीकृति किये जाने के उपरान्त क्या खातेदार, जिसने भूमि समर्पित की है के नामिति (Nominee) को सीधे ही नगर निकाय द्वारा पट्टा दिया जा सकता है।

इस संबंध में उक्त धारा 90-ए एवं इनके तहत बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग के लिए अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के प्रावधान स्पष्ट हैं। धारा 90-ए की उप-धारा (7) के उप-खण्ड (ख) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 11(3) तथा 19(1) के अनुसार भूमि का आवंटन/नियमन किया जा कर पट्टा-विलेख ऐसे व्यक्ति, जिसे धारा 90-ए के तहत अनुज्ञा जारी की गयी है या उसके उत्तराधिकारी (Successor), समनुदेशिती (Assignees) अन्तरिती (Transferees) के पक्ष में किया जायेगा।

इस प्रकार धारा 90-ए तथा इसके अधीन बनाये गये नये नियमों के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा के तहत पट्टा-विलेख खातेदार (जिसे अनुज्ञा जारी की गयी है) को या उसके उत्तराधिकारी (Successor), समनुदेशिती (Assignees) या अन्तरिती (Transferees) के पक्ष में जारी किया जा सकता है।

अतः सभी संबंधित को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदेयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा10 शासन विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय ससदीय सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी साचेव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा10 शासन विभाग।
4. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय/तृतीय/शासन उप सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार समस्त संबंधित को अवगत करावें।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
9. प्रभारी, सीएमआईआर निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय